

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

::आदेश::

भोपाल दिनांक

कर्मोंक /आउशि/छा.शा./09//राज्य शासन की एकीकृत विभिन्न छात्रवृत्ति/भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये दी जाने वाली छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को प्रारंभिक वर्ष की नवीन छात्रवृत्ति आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा प्रदान की जावेगी। तथा उसके पश्चात छात्रों की नवीनीकरण की छात्रवृत्ति हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. द्वारा समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा इंदोर-उज्जैन संभाग, ग्वालियर-चम्बल संभाग, भोपाल-होशंगाबाद संभाग, जबलपुर सागर संभाग एवं रीवा संभाग म.प्र. को अधिकार आज दिनांक से प्रत्यावर्तित किये जाते हैं अतः अब उपरोक्त छात्रवृत्ति के नवीनीकरण की कार्यवाही संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा द्वारा की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

छात्रों की नवीनीकरण छात्रवृत्ति स्वीकृत करते हुए पूर्ण विवरण एवं छात्रों की सूची मय राशि सहित इस कार्यालय को समय सीमा में आवश्यक रूप से भेजें, जिससे राशि आवंटित की जा सके।

Ashish
17.9.2015
(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त,

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्र. 414/आउशि/छा.शा./09/ भोपाल दिनांक 22-9-09
प्रतिलिपि:-

- 1- 3 सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कुल सचिव, विश्वविद्यालय, म.प्र.।
4. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
5. सयुक्त संचालक, बजट उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।
6. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा भोपाल। इस आशय से कि आदेश वेबसाइट पर उपलब्ध कराये।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल।
8. लेखा इकाई, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल।

Ashish
22.9.09
(प्रो.ए.सी.अग्रवाल)छा.शा.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश